



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(U.P. Housing and Development Board)
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



संख्या/3464/ सी.ए.पी./ 2024

दिनांक: 14/10/2024

सूचना

परिषद की यू0पी0आई0एल0 योजना, ऐशबाग लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी0पी0-01 व सी0पी0-02 पर सम्मिलित रूप से शैक्षिक उपयोग अनुमत्य किये जाने हेतु परिषद की 268वीं बैठक के मद सं0-268/17 पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रश्नगत भू-उपयोग लेआउट में व्यवसायिक से शैक्षिक किए जाने के परिवर्तन हेतु शासनादेश सं0- 2438-9-आ-3-98-60 एल0यू0सी0/ 96 दिनांक 13.10.1998 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन/ संशोधन की कार्यवाही उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम - 1973 की धारा-13 में निहीत प्रक्रिया के समान किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव उपरोक्तानुसार प्रस्तावित सम्पत्ति के शैक्षिक भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। सभी आपत्ति एवं सुझाव आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में ई-मेल से भी cap@upavp.com पर प्रेषित की जा सकेगी। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से एक पक्ष की अवधि में प्राप्त होंगे।

आवास आयुक्त

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ☎ 1800-180-5333 (टोल फ्री नंबर), 0522-2236803
     UPHousingBoard  www.upavp.in  info@upavp.com

$$7w \times 8h = 56 \text{ sqcm}$$

$$Bw$$